

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं025(1)चिस्वा/2/2013/175

जयपुर, दिनांक:

14-8-13

निदेशक(जन स्वा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0जयपुर।

विषय:-मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच हेतु राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड को राशि के स्थानान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना हेतु रिजर्व फण्ड की राशि रु0 7.67 करोड में से निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत उनके सामने अंकितानुसार कुल राशि रूपये 7.00 करोड (अक्षरे रूपये सात करोड मात्र) आहरित कर राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के पीडी खाते में हस्तान्तरण करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	बजट शीर्ष	राशि(रु0 लाखों में)
1	2210-06-101-(20)-[01]-18-METP (Plan)	500.00
2	2210-06-789-(03)-[01]-18-METP (Plan)	120.00
3	2210-06-796-(07)-[01]-18-METP (Plan)	80.00
	कुल योग	700.00

- 1-- वित्तीय वर्ष 2012-13 में आर.एम.एस.सी.एन. को जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- 2-- उक्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- 3-- यह सुनिश्चित किया जावे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में इन बजट उपमदों के अन्तर्गत कुल प्रावधित राशि से अधिक का व्यय ना हो।

यह स्वीकृति वित्त(व्यय-1)विभाग की आई.डी.संख्या 151301006 दिनांक 07.08.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीया,

(अर्पिता चौधरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लि0, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
- 5- प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज0जयपुर।
- 6- शासन उप सचिव, वित्त(बजट)विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रूपये 7.00 करोड (अक्षरे रूपये सात करोड मात्र) राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लि0 के पीडी खाता संख्या 203 में हस्तान्तरित कर सूचित करने का श्रम करावे।
- 7- संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-1) विभाग।
- 8- शासन उप सचिव, आयोजना(वित्त) विभाग।
- 9- वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0जयपुर।
- 10- प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 11- एकल पत्रावली डी 04 दिनांक 26.07.13
- 12- रक्षित पत्रावली

सहायक शासन सचिव